-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अतर्रा कस्बे में चोरी की दो बड़ी घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी बालिका को भी लिया गया संरक्षण में।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी के करीब 80 लाख रुपए के भारी मात्रा में आभूषण एवं 02 मोटरसाइकिलें बरामद।**
- **अभियुक्त सत्येन्द्र द्वारा बाल अपचारी बालिका के साथ मिलकर अतर्रा कस्बे में दो अलग-अलग मकानों में दिनांक 13.11.2026 व 18.07.2026 को चोरी की घटनाओं को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- उत्तर प्रदेश शासन की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री अमरनाथ गुप्ता के नेतृत्व में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मकानों में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी बालिका को संरक्षण में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से करीब 80 लाख रुपए की कीमत के चोरी के भारी मात्रा में आभूषण एवं 02 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गौरतलब है कि थाना अतर्रा क्षेत्र के कस्बा बजरंगनगर निवासी रोहित पुत्र लक्ष्मण द्वारा दिनांक 13.11.2026 को थाना अतर्रा पर सूचना दी गई कि दिनांक 13.11.2026 की सुबह अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर से सोने एवं चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया तथा यक्ष ऐप सहित अन्य तकनीकी माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं एवं साक्ष्यों का संकलन कर उनका आपसी मिलान किया गया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की हाथ में थैला लेकर घटनास्थल के आसपास से निकलती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उक्त लड़की की पहचान सुनिश्चित की गई, जो एक बाल अपचारी निकली। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाश करते हुए आज दिनांक 14.11.2026 को एक अभियुक्त सत्येन्द्र को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त बाल अपचारी लड़की को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पूछताछ के दौरान बाल अपचारी ने बताया कि उसने अपने साथी सत्येन्द्र के साथ मिलकर उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गहन पूछताछ में दोनों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 18.07.2026 को अपने पड़ोसी रूपम के घर में भी चोरी की घटना कारित की गई थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा बाल अपचारी के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 01 बुलट मोटरसाइकिल
- 01 पल्सर मोटरसाइकिल
- 01 आधार कार्ड
- 01 वोटर कार्ड
- 2200 रूपए नगद

बरामदगी मु0अ0सं0- 388/26

- 01 लॉकेट सहित चैन 23.98 ग्राम (पीली धातु)
- 01 मंगलसूत्र चैन सहित 28.57 ग्राम (पीली धातु)
- 01 सेट कान का ब्रजबाला 9.63 ग्राम (पीली धातु)
- 03 सेट कान के टप्स 19.30 ग्राम (पीली धातु)
- 02 छोटी चैन 3.95 ग्राम (पीली धातु)
- 06 नग लगी अंगूठी 19.67 ग्राम (पीली धातु)
- 01 जोड़ी कड़ा 25.81 ग्राम (पीली धातु)
- 01 अंगूठी 1.35 ग्राम (पीली धातु)
- 01 हार कान सेट सहित 84 ग्राम (पीली धातु)
- 03 जोड़ी चूड़ी 60.08 ग्राम (पीली धातु)
- 01 माथ बेंदी 7.80 ग्राम (पीली धातु)
- 01 मंगलसूत्र 41.05 ग्राम (पीली धातु)
- 01 चैन 23.11 ग्राम (पीली धातु)
- 03 अंगूठी 15.48 ग्राम (पीली धातु)
- 01 जोड़ी झाला सहित 01 जोड़ी टप्स 15.53 ग्राम (पीली धातु)
- 01 जोड़ी पायल 173.87 ग्राम (सफेद धातु)
- 06 जोड़ी बिछिया 30.75 ग्राम (पीली धातु)
- 02 जोड़ी पतली पायल 74.64 ग्राम (सफेद धातु)
- 04 जोड़ी बिछिया 20.73 ग्राम (सफेद धातु)

बरामदगी मु0अ0सं0- 273/26

- 04 चूड़ी 30.56 ग्राम (पीली धातु)
- 01 बेसर 5.50 ग्राम (पीली धातु)
- 01 नथुनी चैन सहित 7.70 ग्राम (पीली धातु)
- 01 हार 17.24 ग्राम (पीली धातु)
- 01 हार चैन सहित 35.22 ग्राम (पीली धातु)
- 01 मंगलसूत्र 15.38 ग्राम (पीली धातु)
- 01 चैन लॉकेट सहित 14.93 ग्राम (पीली धातु)
- 01 माथ बेंदी 2.69 ग्राम (पीली धातु)
- 01 सेट कान का ब्रजबाला 6.92 ग्राम (पीली धातु)
- 01 सेट कान के टप्स 5.34 ग्राम (पीली धातु)
- 06 अंगूठी 13.25 ग्राम (पीली धातु)
- 01 जोड़ी पैजेव 201.71 ग्राम (सफेद धातु)
- 01 बिछुया 140.84 ग्राम (सफेद धातु)
- 01 सिक्का 50 ग्राम (सफेद धातु)
- 01 जोड़ी पायल 85.75 ग्राम (सफेद धातु)
- 01 जोड़ी बच्चों के कड़े 19.56 ग्राम (सफेद धातु)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सत्येन्द्र उर्फ सत्यम उर्फ लकी निवासी रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।

पुलिस संरक्षण में-

1.एक बाल अपचारी बालिका।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 276/26 धारा 305/307(4) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 388/26 धारा 305(A)/307(4) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली की टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप
3. कां0 रविन्द्र श्रीवास
4. कां0 राहुल
5. म0कां0 शिवानी सिंह